

[2023] 3 एस. सी. आर 660

/

[2023] 3 एस सी आर।

/

भारत और ए. एन. आर. का महानिदेशक, दूरदर्शन प्रसार भारती निगम।

बनाम

एसएमटी। मैगी एच देसाई

(2023 की सिविल अपील संख्या 1787)

/

24 मार्च, 2023

[एम. आर. शाह और सी. टी. रविकुमार, न्यायाधीशगण]

केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972-आरआर।13, 14 – उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि संविदात्मक/आकस्मिक के रूप में प्रदान की गई प्रत्यर्थी की सेवाओं को पेंशन/सेवानिवृत्त लाभों के लिए योग्यता सेवा की गणना के लिए अस्थायी सेवा के रूप में गिना जाएगा-आयोजित: उच्च न्यायालय ने यह देखने में भौतिक रूप से गलती की कि संविदात्मक सेवा अस्थायी क्षमता में सेवा के रूप में योग्य होगी-आकस्मिक/संविदात्मक के रूप में प्रदान की गई सेवा को मूल नियुक्ति पर प्रदान की गई सेवा नहीं कहा जा सकता है-न तो नियम और न ही नियमितकरण योजना में यह प्रावधान है कि आकस्मिक/संविदात्मक के रूप में प्रदान की गई सेवाओं को अस्थायी सेवा के रूप में माना जाएगा और/या उन्हें पेंशन/सेवा लाभों के उद्देश्यों के लिए गिना जाएगा-उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय को रद्द कर दिया जाता है और दरकिनार कर दिया जाता है-प्रतिवादी द्वारा दायर ओ. ए. को खारिज करने वाले न्यायाधिकरण के निर्णय को बहाल कर दिया जाता है-सेवा विधि ।

/

/

/

सिविल अपीलिय अधिकारिता 2023 की सिविल अपील संख्या 1787।

/

2021 के एस. सी. ए. सं. 14592 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 17.02.2022 के निर्णय और आदेश से।

राजीव शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता, साहिल भालैक, तुषार गिरि, सोहन पाटिल, साकेत चंद्र, प्रणव गिरि, सुश्री गुलशन जहां, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।हार्दिक विरेन्द्रकुमार वोरा, सुश्री नीलम सिंह, समीर सिंह, करण ठाकुर, विजय कुमार सिंह, आशीष श्योराण, अधिवक्ता।प्रत्यर्थियों के लिए।

/

/

660 ए.

661

डायरेक्टर जनरल, डोरडार्शन प्रसाद भारती कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाम एस. एम. टी. मैगी एच देसाई ए

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. आर/स्पेशल सिविल एप्लीकेशन नंबर 14592/2021 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 17.02.2022 के आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत उक्त रिट याचिका को अनुज्ञात है और निर्देश दिया है कि इसमें प्रतिवादी की सेवाएं-अनुबंध के रूप में प्रस्तुत मूल रिट याचिकाकर्ता को पेंशन/सेवानिवृत्त लाभों के लिए योग्यता सेवा की गणना करने के उद्देश्य से अस्थायी सेवा के रूप में गिना जाएगा, भारतीय दूरदर्शन प्रसार भारती निगम के महानिदेशक और अन्य ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

/

/

2. संक्षेप में वर्तमान अपील की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैं -

इसके अंतर्गत:

कि इसमें प्रतिवादी-मूल आवेदक को वर्ष 1985 में अनुबंध/आकस्मिक आधार पर एक सामान्य सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था।इसके बाद अनुबंध/आकस्मिक आधार पर सामान्य सहायक के रूप में प्रत्यर्थी की सेवाओं को समय-समय पर कुछ दिनों के विराम के साथ बढ़ाया जाता था।इसके बाद मूल आवेदक ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, अहमदाबाद पीठ, अहमदाबाद (संक्षेप में, 'न्यायाधिकरण') के समक्ष मूल आवेदन संख्या 32/1987 दायर किया।

उक्त ओ. ए. को विभाग-अपीलार्थियों को उसी वेतन और भत्तों का भुगतान करने के निर्देश के साथ आंशिक रूप से अनुज्ञात गई थी जो बकाया राशि के साथ अक्टूबर, 1990 से अन्य नियमित सामान्य सहायकों/क्लर्कों को दिया जा रहा था।

/

/

2.1 इसके बाद, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नई दिल्ली की प्रधान पीठ के योजना तैयार करके आकस्मिक कर्मचारियों को नियमित करने के निर्णय के अनुसार, मूल आवेदक की सेवाओं को दूरदर्शन के आकस्मिक कर्मचारी कलाकारों को नियमित करने की योजना, 1992/94 के अनुसार 31.03.1995 से लोअर डिवीजन क्लर्क के रूप में नियमित किया गया। मूल आवेदन को उक्त पद पर नियमितीकरण की तारीख से लोअर डिवीजन क्लर्क का नियमित पैमाना दिया गया था।

/

/

2.2 इसके बाद मूल आवेदक ने अपनी पिछली सेवा पर विचार करने के लिए न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया। उक्त ओ. ए. खारिज कर दिया गया, जो उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका का विषय था। उच्च न्यायालय मूल आवेदक को अनुमति देने के लिए प्रसन्न था

/

662

/

[2023] 3 एस सी आर।

विभाग को प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करें। कि इसके बाद प्रत्यर्थी-मूल आवेदक ने दिनांक 11.4.2014 का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। दिनांक 18.09.2014 के आदेश के माध्यम से, विभाग ने पेंशन/सेवा लाभों की गणना के लिए 1985 से 31.03.1995 तक उसके द्वारा प्रदान की गई आकस्मिक/संविदात्मक सेवाओं का लाभ देने के लिए प्रतिवादी के प्रतिनिधित्व को खारिज कर दिया।

/

2.3 इसके बाद, मूल आवेदक ने न्यायाधिकरण के समक्ष एक और ओ. ए. सं. 446/2014 दायर किया। एक विस्तृत निर्णय और दिनांक 08.09.2021 के आदेश द्वारा, न्यायाधिकरण ने उक्त ओ. ए. को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि प्रतिवादी द्वारा संविदात्मक/आकस्मिक के

रूप में प्रदान की गई सेवाओं को अस्थायी सेवा के रूप में नहीं माना जा सकता है और/या माना नहीं जा सकता है और इसलिए इस रूप में प्रदान की गई सेवाओं को सेवानिवृत्ति लाभ/सेवा लाभ के उद्देश्य के लिए नहीं गिना जाएगा। ओ. ए. को खारिज करते हुए न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय और आदेश उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका का विषय था। आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने कहा है कि अस्थायी क्षमता में सेवाओं में अस्थायी सेवकों के वर्ग जैसे आकस्मिक या संविदात्मक भी शामिल होंगे। ऐसा मानते हुए और लागू नियमों के नियम 13 पर भरोसा करते हुए, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को अनुज्ञात कर लिया है और निर्देश दिया है कि प्रत्यर्थी की सेवाएं-संविदात्मक/आकस्मिक के रूप में प्रस्तुत रिट याचिकाकर्ता नियमों के अनुसार योग्यता सेवा की गणना के उद्देश्यों के लिए अस्थायी सेवा के रूप में गिने जाने के लिए उत्तरदायी होगी और तदनुसार उसे उसकी सेवानिवृत्ति पर पेंशन का भुगतान किया जाएगा। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश वर्तमान अपील का विषय है।

/

/

/

3. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजीव शर्मा ने दृढ़ता से प्रस्तुत किया है कि 1985 से जब तक उनकी सेवाओं को 31.03.1995 पर नियमित नहीं किया गया, तब तक प्रतिवादी ने एक आकस्मिक/संविदात्मक कर्मचारी के रूप में सेवाएं प्रदान कीं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक आकस्मिक/संविदात्मक कर्मचारी के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाओं को एक अस्थायी कर्मचारी के रूप में और/या अस्थायी सेवा प्रदान करने के रूप में नहीं कहा जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (इसके बाद '1972 नियम' के रूप में संदर्भित) के नियम 13 का प्रावधान लागू नहीं होगा और इसलिए आकस्मिक/संविदात्मक कर्मचारी के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाओं को पेंशन लाभ/सेवा लाभों के उद्देश्यों के लिए नहीं गिना जा सकता है।

/

/

3.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए उच्च न्यायालय ने 1972 के नियमों के नियम 13 की गलत व्याख्या की है और अवलोकन में भौतिक रूप से गलती की है और ए

/

663

डायरेक्टर जनरल, डोरडार्शन प्रसाद भारती

भारत का निगम बनाम एसएमटी। मैगी एच देसाई [एम. आर. शाह, जे.] ए.

यह अभिनिर्धारित करते हुए कि अस्थायी क्षमता में सेवाओं में अस्थायी सेवा के वर्ग जैसे आकस्मिक या अनुबंध भी शामिल होंगे।

3.2 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपील की अनुमति दी जाए।

4. प्रतिवादी की ओर से पेश विद्वान वकील श्री हार्दिक वोरा ने वर्तमान अपील का जोरदार विरोध किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार प्रतिवादी आकस्मिक या संविदात्मक के रूप में प्रदान की गई सेवाओं के 50 प्रतिशत का दावा कर रहा है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अन्य विभागों में, आकस्मिक रूप से प्रदान की जाने वाली 50 प्रतिशत सेवाओं को अस्थायी सेवा के रूप में माना जाए और इसलिए इसे पेंशन लाभों/सेवा लाभों के उद्देश्यों के लिए गिना जाना चाहिए। तथापि, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील किसी भी वैधानिक प्रावधान को इंगित करने की स्थिति में नहीं है जिसके अंतर्गत प्रत्यर्थी पेंशन लाभ/सेवा लाभों के उद्देश्यों के लिए आकस्मिक/संविदात्मक के रूप में प्रदान की गई 50 प्रतिशत सेवाओं का दावा कर रहा है। हालाँकि, यह प्रस्तुत किया जाता है कि अन्य विभागों की तरह, ऐसी योजना है और इसलिए प्रतिवादी उसी लाभ का दावा कर रहा है।

/

/

/

5. हमने संबंधित पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है।

शुरुआत में, यह नोट किया जाना आवश्यक है और यह एक स्वीकृत स्थिति है कि 1985 से 31.03.1995 के बीच की अवधि के लिए प्रतिवादी ने एक आकस्मिक/संविदात्मक कर्मचारी के रूप में कार्य किया और उसकी सेवाओं को योजना W. E. F. 31.03.1995 के अनुसार नियमित किया गया। इस प्रकार, नियमितीकरण योजना के अंतर्गत, इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि आकस्मिक सेवाओं को सेवा लाभों/पेंशन लाभों के लिए गिना जाएगा। यहां तक कि वर्ष 2009 में डी. ओ. पी. टी. द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार, यह स्पष्ट किया गया था कि इस तरह की नियुक्ति किसी सरकारी पद पर नियमित आधार पर नियुक्त होने से पहले अनुबंध के आधार पर उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से किसी भी लाभ का दावा करने का हकदार नहीं है।

/

/

6. प्रतिवादी केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 द्वारा शासित होता है। 1972 के नियमों के नियम 13 और 14, जो वर्तमान मामले में विवाद का फैसला करने के लिए प्रासंगिक

हैं, निम्नानुसार हैं: “13. योग्यता सेवा की शुरुआत-इन नियमों के प्रावधानों के अधीन, एक सरकारी कर्मचारी की योग्यता सेवा उस पद का प्रभार संभालने की तारीख से शुरू होगी जिस पर वह पहली बार या तो मूल रूप से या कार्यवाहक या अस्थायी क्षमता में नियुक्त किया जाता है:

/

/

664

/

[2023] 3 एस सी आर।

बशर्ते कि कार्यवाहक या अस्थायी सेवा का पालन बिना किसी रुकावट के उसी या किसी अन्य सेवा या पद पर मूल नियुक्ति द्वारा किया जाता है:

आगे कहा गया है कि -

(क) समूह 'घ' में किसी सरकारी कर्मचारी के मामले में।(ख) खंड (क) के दायरे में नहीं आने वाले सरकारी कर्मचारी के मामले में।

/

14. सेवा के योग्य होने की शर्तें:(1) सरकारी कर्मचारी की सेवा तब तक योग्य नहीं होगी जब तक कि उसके कर्तव्यों और वेतन को सरकार द्वारा या सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत विनियमित नहीं किया जाता है।

/

(2) उप-नियम (1) के प्रयोजनों के लिए, "सेवा" पद का अर्थ है सरकार के अधीन सेवा और उस सरकार द्वारा भारत की संचित निधि या उस सरकार द्वारा प्रशासित स्थानीय निधि से भुगतान किया जाता है, लेकिन इस अंतर्गत गैर-पेंशन योग्य प्रतिष्ठान अंतर्गत सेवा शामिल नहीं है, जब तक कि ऐसी सेवा को उस सरकार द्वारा योग्य सेवा के रूप अंतर्गत नहीं माना जाता है।

/

(3) राज्य सरकार से संबंधित किसी सरकारी कर्मचारी के मामले में, जिसे स्थायी रूप से किसी ऐसी सेवा या पद पर स्थानांतरित किया जाता है, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, राज्य सरकार के अंतर्गत एक कार्यवाहक या अस्थायी क्षमता, यदि कोई हो, में निरंतर सेवा प्रदान की जाती है, जिसके बाद बिना किसी रुकावट के मूल नियुक्ति होती है, या उस सरकार के अंतर्गत

कार्यवाहक या अस्थायी क्षमता में प्रदान की जाने वाली निरंतर सेवा, जैसा भी मामला हो, योग्य होगी:

/

बशर्ते कि इस उप-नियम में निहित कुछ भी ऐसे किसी भी सरकारी कर्मचारी पर लागू नहीं होगा, जिसे किसी सेवा या पद पर प्रतिनियुक्ति के अलावा अन्यथा नियुक्त किया जाता है, जिस पर ये नियम लागू होते हैं। "7. 1972 के नियमों के नियम 13 में योग्यता सेवा शुरू करने का प्रावधान है। नियम 13 के अनुसार, एक सरकारी कर्मचारी की योग्यता सेवा उस तारीख से शुरू होगी जब वह उस पद का प्रभार संभालता है जिस पर उसे पहली बार या तो मूल रूप से या कार्यवाहक या अस्थायी क्षमता में नियुक्त किया जाता है। यह आगे प्रावधान करता है कि ऐसी कार्यवाहक या अस्थायी सेवा का पालन बिना किसी रुकावट के उसी या किसी अन्य सेवा या पद पर मूल नियुक्ति द्वारा किया जाता है। इसलिए, किसी मूल पद पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं या कार्यवाहक या अस्थायी सेवा के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाओं को योग्यता सेवा माना जाएगा। आकस्मिक/ए के रूप में प्रदान की गई सेवा

/

/

/

665

डायरेक्टर जनरल, डोरडार्शन प्रसाद भारती

भारत का निगम बनाम एसएमटी। मैगी एच देसाई [एम. आर. शाह, जे.]

संविदात्मक को कार्यवाहक या अस्थायी सेवा नहीं कहा जा सकता है। यहां तक कि अस्थायी सेवा के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाओं को भी योग्यता सेवा माना जा सकता है बशर्ते कि कार्यवाहक या अस्थायी सेवा का पालन बिना किसी रुकावट के उसी या किसी अन्य सेवा या पद पर मूल नियुक्ति द्वारा किया जाए। आकस्मिक/संविदात्मक के रूप में प्रदान की गई सेवा को मूल नियुक्ति पर प्रदान की गई सेवा नहीं कहा जा सकता है।

/

8. परिस्थितियों अंतर्गत और 1972 के नियमों के नियम 13 को निष्पक्ष रूप से पढ़ने और व्याख्या करने पर, उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी करने अंतर्गत बहुत गंभीर त्रुटि की है कि अस्थायी क्षमता अंतर्गत सेवाओं अंतर्गत अस्थायी सेवा के वर्ग जैसे आकस्मिक या अनुबंध भी शामिल होंगे। उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी करने में भौतिक रूप से गलती की है कि संविदात्मक सेवा अस्थायी क्षमता में सेवा के रूप में योग्य होगी। प्रश्न यह नहीं है कि क्या एक संविदात्मक कर्मचारी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं अस्थायी क्षमता में सेवा के रूप में योग्य होंगी। प्रश्न

यह है कि क्या वास्तव में, ऐसे संविदात्मक कर्मचारी ने सेवाओं को अस्थायी के रूप में प्रदान किया है या नहीं।

/

9. अब जहाँ तक प्रत्यर्थी की ओर से यह निवेदन है कि योजना के अंतर्गत अन्य विभागों में ऐसे विभागों के कर्मचारी पेंशन/सेवा लाभों के लिए योग्यता सेवा के लिए गिने जाने वाले आकस्मिक/संविदात्मक के रूप में प्रदान की गई अपनी सेवाओं के हकदार हैं, केवल इसलिए कि कुछ अन्य विभागों में ऐसी योजनाएं हो सकती हैं, प्रत्यर्थी अपीलकर्ता के विभाग/विभाग में किसी भी योजना के अभाव में समान लाभ का हकदार नहीं होगा जिसमें प्रत्यर्थी ने अपनी सेवाएं प्रदान कीं। अपीलार्थी-दूरदर्शन प्रसार भारती कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक स्वायत्त स्वतंत्र विभाग/निकाय है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, न तो नियम और न ही नियमितीकरण योजना में यह प्रावधान है कि आकस्मिक/संविदात्मक के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाओं को अस्थायी सेवा के रूप में माना जाएगा और/या उन्हें पेंशन/सेवा लाभों के उद्देश्यों के लिए गिना जाएगा।

/

/

/

10. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश अस्थिर है और इसे रद्द किया जाना चाहिए और अलग रखा जाना चाहिए और तदनुसार इसे रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है। मूल आवेदन को खारिज करते हुए न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय और आदेश को इसके द्वारा बहाल किया जाता है। तदनुसार वर्तमान अपील की अनुज्ञात है। यद्यपि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

/

दिव्या पांडे

अपील अनुज्ञात ।

/

(सहायक: अभिषेक अग्निहोत्री और रुपांशी विरंग, एलसीआरए)